सुनील चौहान मर्डर केस में आरोपी नेपाली के संपर्क में थे कई पुलिसकर्मी

रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने हत्या का नया प्रकरण दर्ज किया

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

एक साल पहले सुनील चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने नया केस दर्ज किया है। यह केस धमकी की रिकॉर्डिंग को लेकर किया गया है। मामले में फरार आरोपी शुभम नेपाली के सम्पर्क में द्वारकापुरी थाने के कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिसकर्मियों की भूमिका खंगाली जा रही है, साक्ष्य मिलते ही उन्हें भी सहआरोपी बनाया जाएगा।

पुलिस के अनुसार... मृतक के भाई दिनेश ने ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी, जिसमें शुभम मृतक सुनील को हत्या की धमकी देता सुनाई दे रहा है। यह रिकॉर्डिंग घटना से पहले की है। दिनेश की शिकायत पर शुभम नेपाली, उसकी पत्नी पूजा, रेवाराम और राज गोयल के खिलाफ हत्या के राजीनामे के लिए धमकी, जान से मारने की धमकी और हत्या में संलिप्तता के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक... सुनील की हत्या करीब एक साल पहले हुई थी।

शराब के नशे में थे आरोपी- हत्या के वक्त आरोपी अंशू उर्फ हर्ष (राज गोयल का भाई), आदर्श उर्फ अर्जुन बिल्लौरे, बबलू उर्फ तुलसीराम कहारे और श्याम उर्फ टीटा गुजराल शामिल थे। उस समय पुलिस ने इस हत्याकांड को शराब के नशे में हुआ विवाद बताते हुए शुभम का नाम जांच में शामिल नहीं किया था। दिनेश ने बताया कि 10 मई को जिला कोर्ट में शुभम, पूजा और राज ने उसे धमकाया और राजीनामा करने के लिए दबाव डाला। इसके बाद 26 जुलाई को रेवाराम, शुभम और पूजा ने उस पर पिस्टल तान दी और कहा- तेरे भाई की हत्या करवा दी, अब तेरी भी करवा देंगे।

महेश टोपी का साथी था सुनील

सुनील का संबंध कुख्यात बदमाश महेश टोपी की गैंग से था। उसकी हत्या शुभम और टोपी गैंग के बीच लंबे समय से चल रही गैंगवार के चलते हुए थी। हत्या के वक्त भी गैंगवार की बात सामने आई थी, लेकिन तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने मामले को दबा दिया था। अब सामने आए मोबाइल डिटेल्स में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुभम फरारी के दौरान द्वारकापुरी थाने में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मियों और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से लगातार संपर्क में था। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनका बाद में ट्रांसफर हो गया था।

भूमाफिया का नाम भी आया

इतना ही नहीं, शुभम के साथियों की जमानत के लिए कुख्यात भूमाफिया प्रेम का नाम भी सामने आया है, जो आरोपियों को कानूनी मदद पहुंचा रहा था। पुलिस अब प्रेम की भूमिका की भी जांच कर रही है और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

विवाद के चलते महिला ने 3 बेटों के साथ खाया जहर

इंदौर। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने 3 बेटों के साथ जहर खा लिया। चारों की हालत फिलहाल सामान्य है। शिप्रा पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार रात 10 बजे के लगभग की है। मांगलिया से एबुलेंस से अन्नूसिह (32) और उसके तीन बेटे आकाश (13), राज (12) व पवन (10) को एमवाय लाया गया था।

डॉक्टरों की तरफ से सूचना मिली कि चारों ने जहर खाया है। देर रात पुलिस की टीम एमवाय पहुंची। यहां महिला के बयान लिए गए तो उसने बताया कि उसने बच्चों को मिठाई में जहर दिया है। इसके बाद खुद भी जहर खा लिया। पूछताछ में अपने पति जबर सिह से विवाद की बात पुलिस को बताई है। आसपास के लोगों ने बताया कि अन्नू और उसके पति जबर सिह के बीच विवाद चल रहा था। रात में घर से लड़ने की आवाजें आ रही थीं। बाद में जबर सिह घर से चला गया। पुलिस जब जबर सिह के घर पहुंची तो वह मौके पर नहीं मिला है। फिलहाल मामला जांच में है।

तलाक केस में आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं कोर्ट में पेश

सूरत जेल से पुलिस अभिरक्षा में लाया गया, सुनवाई 4 सितंबर को

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

तलाक केस में आसाराम बापू का बेटा नारायण साईं फेमिली कोर्ट पहुंचा। उसे सूरत जेल से पुलिस अभिरक्षा में लेकर कोर्ट पहुंची थी। मामले में नारायण साईं, पत्नी जानकी और संबंधितों के बयान हुए। अगली सुनवाई की चार सितंबर को होगी।

जानकारी के मुताबिक नारायण और जानकी की शादी 1995 में हुई थी। मूलतः भोपाल निवासी जानकी ने नारायण साईं पर 3 साल पहले तलाक का केस लगाया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नारायण को नोटिस देकर तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ था। इस पर उसके एडवोकेट ने जवाब पेश किया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 1 अगस्त तय की थी।

फटाफट ले गई पुलिस: सुनवाई के दौरान नारायण साईं और पत्नी पेश हुए। इस दौरान नारायण के एडवोकेट पवन शर्मा और तुलसीराम रघुवंशी भी उपस्थित थे। खास बात यह कि नारायण के कोर्ट के गेट से कोर्ट रूम आने तक और फिर वापस ले जाने के दौरान पुलिस और अनुयायी उसे फटाफट ले गए, ताकि कोई वीडियो न बना पाए, फिर भी एक-दो लोगों ने वीडियो बना भी लिए।

भरण-पोषण देने के मामले में रिओपन की अपील

मामले में पत्नी की अपील पर 2018 में नारायण को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर माह पचास हजार रु. भरण-पोषण खर्च दें, लेकिन साईं ने राशि नहीं दी। हालांकि 2013 से नारायण सूरत जेल में है। ऐसे में यह राशि ब्याज सहित 55 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। मामले में मई-2025 में नारायण के एडवोकेट ने इस केस को रिओपन करने की अपील की है। एडवोकेट का कहना है कि जब कोर्ट ने यह आदेश दिया था तो 2013 से जेल में है। इसमें कोर्ट की ओर से उसका पक्ष नहीं जाना गया है। इस मामले में कोर्ट संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चुकी है।

300 छात्रों ने जाने ट्रैफिक के नियम-कायदे

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

स्टूडेंट्स को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते वरिष्ठ अधिकारी।

यातायात प्रबंधन पुलिस की एज्यूकेशन विंग द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारी स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं के स्टूडेंट्स को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। शुक्रवार को मिलेनियम सीनियर हायर सेकंडरी स्कूल में मुख्य अतिथि सहायक पुलिस आयुक्त मनोजकुमार खत्री ने 300 छात्र-छात्राओं, बस चालकों, परिचालकों, शिक्षकों एवं प्राचार्य को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने सड़क सुरक्षा, हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, ओवर स्पीडिंग, मोबाइल उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा कर विद्यार्थियों को अनुशासित नागरिक बनने की प्रेरणा दी। अंत में उपस्थित विद्यार्थियों, स्टाफ एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई गई।

रामकथा में भजनों पर झूम उठे कैदी

इंदौर। केंद्रीय जेल में श्रावण मास के दौरान शुक्रवार को रामकथा का आयोजन किया गया। अधीक्षक अलका सोनकर के मार्गदर्शन में इस भक्ति मास में जेल में लगातार हो रहे धार्मिक आयोजनों की शृंखला में कथावाचक लखनदास महाराज एवं उनकी भजन मंडली ने ज्ञानगंगा बहाई। कैदियों ने उत्साहपूर्वक कथा का श्रवण कर धार्मिक यश प्राप्त किया। इस अवसर पर उप जेल अधीक्षक संतोष लाडिया, इंदरसिह नागर, कल्याण अधिकारी अभिषेक दांगी भी उपस्थित थे।

जमीन के सौदे के नाम पर साढ़े 19 लाख रुपए हड़पे

ग्वालियर के युवक से की गई धोखाधड़ी, आरोपी जागीरदार के खिलाफ दर्ज किया गया प्रकरण

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

जमीन के सौदे के नाम पर बदमाश ने ग्वालियर के युवक से साढ़े 19 लाख रुपए ठग लिए। जमीन का सीमांकन, नपती नहीं की तो पीड़ित ने बदमाश से पैसे वापस मांगे। बदमाश ने पैसे नहीं लौटाए तो पीड़ित ने खुड़ैल थाने में शिकायत की है। ग्वालियर निवासी सुरेश वर्मा की शिकायत पर आरोपी सुधाकरराव जागीरदार के खिलाफ केस दर्ज किया है।

फरियादी ने बताया कि उसने तिल्लौर गांव में स्थित जमीन का सौदा सुधाकरराव से 32 लाख 50 हजार रुपए में किया था। सौदे के तहत उसने बतौर अग्रिम राशि 19 लाख 50 हजार आरोपी को दिए थे। सौदे की शर्तों के अनुसार... रजिस्ट्री से पहले जमीन की नपती और सीमांकन किया जाना था, ताकि स्पष्ट हो सके कि जमीन कितनी और कहां स्थित है। यह भी कहा था कि नपती के आधार पर ही शेष राशि दी जाएगी, लेकिन आरोपी ने न तो नपती कराई और न ही रजिस्ट्री। जब फरियादी ने रुपए लौटाने की मांग की तो आरोपी ने इनकार कर दिया।

फर्नीचर के नाम पर हजारों ठगे- आरोपी ने फर्नीचर के फोटो दिखाए और फिर रुपए ट्रांसफर कराकर गायब हो गया। किशोर पिता मोरुमल खथूरिया निवासी क्रांति कृपलानी नगर की शिकायत पर अन्नपूर्णा पुलिस ने सुनील और नवीन पर केस दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि उनके पास आरोपी का फोन आया और कहा कि वह उन्हें फर्नीचर सस्ते दामों पर उपलब्ध करा देगा, वह आरोपी की बातों में आ गए और उसके बताए गए फोटो के आधार पर फर्नीचर पसंद कर लिए। इसके बाद आरोपी के बताए अनुसार 60 हजार रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने अपना फोन बंद कर लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

13 बदमाशों की जमानत कराई निरस्त, वारंट तामील

इंदौर। बढ़ते अपराधों के मद्देनजर लगातार वारदातों में लिप्त बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में बाणगंगा पुलिस ने 13 बदमाशों की जमानत निरस्त कर जेल वारंट तामील किया है।

सहायक पुलिस आयुक्त रूबीना मिजवानी ने बताया कि 6 प्रकरणों में 5 को जेल भेजा गया है, जबकि 24 प्रकरणों को चिह्नित कर निरस्ती आवेदन प्रस्तुत किए थे। इन आवेदनों पर गंभीरता से विचार के बाद 12 प्रकरणों में 13 की जमानत निरस्त की। बचे हुए 11 बदमाशों के आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। जिन बदमाशों पर कार्रवाई की है, उनमें सुंदरम उर्फ छोटू पिता अवधेश दीक्षित निवासी नंदबाग 34 केस, प्रतीक उर्फ सोंटी पिता राजेश सोलंकी वृंदावन कॉलोनी 9 केस, उषा उर्फ काली पति रामअवतार वर्मा छोटी कुम्हार खाड़ी 8 केस, प्रदीप उर्फ लक्की पिता सुरेश यादव यादव नंदनगर 7 केस सहित अन्य पर भी केस दर्ज है।

बदमाशों ने फोड़े एक दर्जन वाहनों के कांच

दबदबा कायम करने मचाया उत्पात, क्षेत्र में फैली दहशत, परदेशीपुरा पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

क्षेत्र में दबदबा कायम करने बदमाश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देर रात एक दर्जन वाहनों के कांच फोड़ दिए। बदमाशों के उत्पात मचाने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही परदेशीपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ बदमाशों को हिरासत में ले लिया। घटना थाने से आधा किलोमीटर दूर कुलकर्णी भट्ठा इलाके में बुधवार को हुई।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी आतिश और उसका रिश्तेदार लल्ली अपने अन्य साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। पहले सभी ने जमकर शराब पी और फिर सड़कों पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की, उन्होंने कारण पूछा तो बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से रवाना कर दिया। पीड़ित लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

चाकू लहराते हुए सामने आया था वीडियो- घटना के करीब एक हफ्ते पहले राज नामक बदमाश का चाकूबाजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वह नाबालिग बच्चों और बुजुर्गों के सामने चाकू लहराता दिखा था। उस मामले में भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा था।

आरोपियों का जुलूस निकालने की तैयारी

यह पूरा घटनाक्रम इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा। फिलहाल उनसे उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आतिश का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है और वह क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। पुलिस निकालेगी जुलूस।

M.P. STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
State IT Centre, 47-A, Arera Hills, Bhopal-462011 (M.P.)
www.mpsedc.mp.gov.in, 0755-2518300, marketing@mpsedc.com

NOTICE INVITING TENDERS (NIT)

MPSEDC invites online proposals for following bids on MP Tender:

S. No.	Tender No.	NIT
1	MPSEDC/ F&A/2025/ 636	RFP for Annual Rate Contract for Hiring of tea and coffee vending machine and supply of Consumables Materials at MPSEDC Offices.
2	MPSEDC/ HR/2025-26/ 637	RFP for Providing fully furnished Plug-and-Play Office Space on lease for Establishing Development Centre of MPSEDC at Noida (Third Call).

For detailed scope of work, terms and conditions please refer to the respective bid document available on MP Tender Portal **(www.mptenders.gov.in).**
M.P. Madhyam/121376/2025 **CHIEF GENERAL MANAGER**

अंकित पेट्रोल पंप को किया सील, बगैर हेलमेट दिया जा रहा था पेट्रोल

पीपुल्स संवाददाता • महू
मो.नं. 7803921425

महू-सिमरोल रोड स्थित अंकित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करते अधिकारी।

महू थाना अंतर्गत महू-सिमरोल रोड पर हरसोला फाटा स्थित अंकित पेट्रोल पंप को बगैर हेलमेट पेट्रोल देने के मामले में सील कर दिया गया, साथ ही पम्प संचालक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई महू एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

दरअसल, 1 अगस्त से प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं की तर्ज पर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ हुई बैठक के बाद जारी किया गया। आदेश के परिपालन में सुबह से ही एसडीएम राकेश परमार और तहसीलदार विवेक सोनी विकासखंड स्तर पर भ्रमण कर पेट्रोल पंपों को जायजा लेते नजर आए। इसी बीच उन्होंने महू-सिमरोल रोड के हरसोला फाटा स्थित अंकित पेट्रोल पंप पर बगैर हेलमेट ग्राहकों को पेट्रोल भरवाते हुए देखा। पंप कर्मचारियों द्वारा भी बगैर किसी झिझक के दोपहिया वाहनों में पेट्रोल भरा जा रहा था... लिहाजा आदेश के उल्लंघन पर पंप संचालक के विरुद्ध कोतवाली थाने में धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश एसडीएम द्वारा दिए गए। साथ ही पंप को सील कर मौके पर ही पंचनामा तैयार करवाया गया। इस दौरान उनके साथ तहसीलदार विवेक सोनी भी मौजूद थे।

बैंककर्मी युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में बैंक में काम करने वाली युवती ने अपने पूर्व सहकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया।

पुलिस को शिकायत में युवती ने बताया कि बैंक में काम के दौरान साल-2020 में उसकी पहचान मकरेन्द्र त्रिवेदी निवासी निपानिया से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और 2021 में मकरेन्द्र ने उसे अपने घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। उसने भरोसा दिलाया कि जल्द ही वह अपने परिवार से बात कर शादी करेगा।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर-452020, म.प्र., भारत फोन: (91 731) 2437604 / 642; फैक्स: (91 731) 2437605
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in;
वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सभी इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के बाद से लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.yellowdiamond.in** पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण पत्रों के बदले नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिनका डीमैट रूप में रूपांतरण किया जाएगा और बाद में आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोले गए डीमैट खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः रद्द हो जाएँगे और उन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में शेयरों का स्थानांतरण कंपनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 2 नवंबर, 2025 को या उससे पहले अवैतनिक / दावा न किए गए लाभांश राशि का दावा करें। यदि कंपनी को 2 नवंबर, 2025 तक संबंधित शेयरधारक से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से शेयरों को डीमटेरियलाइज़ करेगी और आईईपीएफ को हस्तांतरित करेगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई शेयरधारकों की अद्यतन सूची को संशोधित नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाना चाहिए और माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरण पर, दावा न किए गए लाभांश राशि और हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं होगा।

अवैतनिक / अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट **मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड,** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, दूरभाष: 40 67162222, 79611000 या टोल फ्री नंबर: 18003094001 ईमेल आईडी: **einward.ris@kfintech.com** से संपर्क करें।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
संजय चौरे
कंपनी सचिव

स्थान: **इंदौर (म.प्र.)**
दिनांक: **1 अगस्त, 2025**

FORM NO. 14 [See Regulation - 33 (2)]
For Publication.

Office of the Recovery Officer - I/II Debts Recovery Tribunal, Jabalpur
2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhavan (BSNL Building), Near Head Post Office Residency Road, Jabalpur - 482001, MP.

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/76/2024 **24/07/2025**

CANARA BANK
VERSUS
M/S ASTHA PULSE AND FOODS

To, (CD1) M/s Astha Pulse And Foods
Plot No 23/11, Dc Industrial Area, Nirmani, Near Khalaghat, Khargone (M.P.) West Nimar, Madhya Pradesh - 451001
(CD 2) Shri Anshul Bansal S/o Shri Ramesh Chandra
7, Daliya Bakhal, Malharganj, Indore, (M.P.) Indore, Madhya Pradesh-0
(CD 3) Ms Asmita Bansal D/0 Shri Ramesh Chandra
7/2, Daliya Bakhal, Malharganj, Indore, (M.P.) Indore, Madhya Pradesh-0
(CD 4) Shri Aditya Mangal S/ 0 Shri Jagdish Mangal
294, Professor Colony, Indore (M.P.) Indore, Madhya Pradesh-0
(cd 5) Shri Sudeep Luhadia S/ 0 Shri Suresh Luhadia
73, Tilak Nagar Indore (M.P.) Indore ,Madhya Pradesh-0

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR in **0A/35/2020** an amount of **Rs. 2927247.96 (Rupees Twenty Nine Lakhs Twenty Seven Thousands Two Hundred Forty Seven And Paise Ninety Six Only)** along with pendentellite and future interest **@ 11.45 % Simple Interest Yearly w.e.f. 10/04/2020 till realization and costs of Rs 32000 (Rupees Thirty Two Thousands Only) has become due against you (Jointly and severally/ Fully/Limited). 2.** You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under. **3.** You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing 4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **12/11/2025 at 10:30 a.m.** for further proceedings. **5.** In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay. **(a)** Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings. **(b)** All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: **24/07/2025**

Recovery Officer,
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

IndusInd Bank **इंडसइंड बैंक लिमिटेड**
प्रथम तल संगम टॉवर, चर्च रोड, जयपुर, राजस्थान 302001

मांग सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत) धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना की प्रतिस्थापित तामील
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002।

नीचे उल्लिखित उधारकताओं को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (आईबीएल) से उनके द्वारा लिए गए संपत्ति के खिलाफ ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनकी ऋण क्रेडिट सुविधा को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, बैंक ने नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ता / सह उधारकर्ता को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त उधारकताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसके तहत उनसे आह्वान किया गया है कि वे संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि को संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चुकाएं, साथ ही नीचे उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और उक्त मांग नोटिस में बताए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि भी चुकाएं। हालाँकि, यह सेवा हमारे द्वारा इस प्रकाशन के माध्यम से प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (SARFAESI नियम) के नियम 3 के अनुसार भी की जा रही है:

लोन अकाउंट नंबर, लोन राशि, उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ताका नाम एवं पता	मांग पत्र दिनांक एवं बकाया राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण/ बंधक संपत्ति
1. मेसर्स साईराम टैंकर सर्विस, इसकी प्रोप्राइटर श्रीमती चित्रा मिश्रा (उधारकर्ता) के माध्यम से, 2. श्रीमती चित्रा मिश्रा, पति श्री मनोज मिश्रा (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) 3. श्री मनोज मिश्रा, पिता श्री एस.आई. मिश्रा (सह-उधारकर्ता), 4. मेसर्स ओम साई राम टैंकर सर्विस, इसके प्रोप्राइटर श्री मनोज मिश्रा (सह-उधारकर्ता) के माध्यम से	**मांग सूचना दिनांक: 17/07/2025** 16-07-2025 तक रु. 32,43,882.17 (बत्तीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ बयासी और सत्रह पैसे मात्र) इसके अतिरिक्त ब्याज, अन्य व्यय **एनपीए तिथि - 28 मई 2025** ऋण खाता संख्या 700000007057	मकान संख्या 121, भाग-बी, (पश्चिम भाग), चिकित्सक नगर, ग्राम पिपल्याकुमार, इंदौर, मध्य प्रदेश का वह पूरा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 92.93 वर्ग मीटर (लगभग 1000 वर्ग फीट) है, जो इस प्रकार घिरा है- पूर्वः प्लॉट संख्या 121 (भाग-ए) का शेष भाग, पश्चिमः प्लॉट संख्या 122, उत्तरः सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या 134

हम यहां उल्लिखित उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में बताई गई अधिक विशेष रूप से बकाया राशि, उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि के साथ भुगतान करने के लिए कहते हैं। ऐसा न करने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(यों) के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो कि उधारकर्ता(ओं)/सह उधारकर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि(ओं) के जोखिम पर पूरी तरह से आपके स्वयं के खर्च और परिणामों पर सुरक्षित संपत्ति को कब्जे में लेने और बेचने तक सीमित नहीं है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और / या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंड प्रावधानों को लागू करेगा।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि IBL की बकाया राशि, IBL द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ-साथ बिक्री या हस्तांतरण के लिए तय की गई तारीख से पहले किसी भी समय IBL को सौंप दी जाती है, तो सुरक्षित संपत्ति IBL द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए IBL द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और आम जनता को, इसके द्वारा संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, उस राशि और उस पर ब्याज के लिए

दिनांक : 02.08.2025
स्थान : इन्दौर

हस्ते/-अधिकृत अधिकारी
इंडसइंड बैंक लि.